न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या: 183/2020
निर्णय दिनांक: 11.02.2022

1. चन्दा पुत्र श्री ग्यारसा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।

...वादी

बनाम

1. गणेश पुत्र श्री ग्यारसा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
2. चोथू पुत्र श्री ग्यारसा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
3. छोगालाल पुत्र हरसाय, जाति मीणा निवासी ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
4. नन्दा पुत्र श्री ग्यारसा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
5. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमि. जरिये मंत्री संतोष शर्मा पुत्र नारायण लाल शर्मा, पंजीकृत कार्यालय नाडी का फाटक, बेनाड रोड जयपुर।

...प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र पेश हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् वाद पत्र को नलिटी घोषित किये जाने वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी द्वारा उक्त वाद दिनांक 28.02.2020 को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 गणेश पुत्र ग्यारसा की मृत्यु वर्ष 2018 में तथा प्रतिवादी संख्या 2 चौथू पुत्र ग्यारसा की मृत्यु वर्ष 2010 में हो चुकी है। वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी आरम्भ से ही रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता है प्रावधानों के विपरित है एवं नलिटी है इसलिए उक्त वाद को मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। उक्त [illegible] अधिनियम के तहत रूपान्तरण हो चुका है, वर्तमान में वादग्रस्त भूमि [illegible] है ऐसी दशा में भी न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार [illegible] द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं [illegible] न रहने के कारण वादी का वाद चलने योग्य न होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि न रहने के कारण नलिटी घोषित करते हुए इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर बहस हेतु निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया, प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र पर लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उपरोक्त उनवानी वाद वादी द्वारा ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख नि. क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 कुल किता 11 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी के स्वामित्व की सम्पति है जिसे प्रार्थी/प्रतिवादी ने वादी एवं शेष प्रतिवादीगण से दिनांक 28.08.1990 को जरिये विक्रय अनुबन्ध पत्र क्रय कर भूमि का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा प्राप्त कर लिया तथा वास्तविकता में वादी एवं शेष प्रतिवादीगण का भूमि वादग्रस्त में ना तो कोई खातेदारी हक व अधिकार निहित है, ना ही वे वास्तविक रूप से उक्त भूमि पर कब्जे–काश्त में ही है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी द्वारा उक्त वाद दिनांक 28.02.2020 को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 गणेश पुत्र ग्यारसा की मृत्यु वर्ष 2018 में तथा प्रतिवादी संख्या 2 चौथू पुत्र ग्यारसा की मृत्यु वर्ष 2010 में हो चुकी है। वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी आरम्भ से ही रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता है प्रावधानों के विपरित है एवं नलिटी है इसलिए उक्त वाद को मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (कृ.भू.रू.) एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने दिनांक 06.02.2008 को उक्त वादग्रस्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित कर खातेदारी अधिकारों का नियमानुसार पर्यावसान कर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया जा चुका है तथा वर्तमान में खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित की जा चुकी है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर गणेश वाटिका तृतीय नामक अपनी आवासीय योजना का सृजन कर भूमि के पट्टे जारी किये जा चुके है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि का भू–राजस्व अधिनियम के तहत रूपान्तरण हो चुका है, वर्तमान में वादग्रस्त भूमि कृषि ही नही है ऐसी दशा में भी न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि न रहने के कारण वादी का वाद चलने योग्य न होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही भूमि वादग्रस्त का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में निहित हो चुका है तथा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित हो चुके है परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वाद स्पष्टतया विधि द्वारा वर्जित वाद होने के कारण विचारण के इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही भूमि वादग्रस्त का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में निहित हो चुका है जिसकी वादी को प्रारम्भ से ही जानकारी है किन्तु वादी द्वारा ना तो जयपुर विकास प्राधिकरण को वाद में पक्षकार बनाया गया है और ना ही उसे वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 के तंहत कोई नोटिस प्रदान किया गया है जिसकी वजह से भी वादी का वाद संधारण योग्य ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:31:50 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि न रहने के कारण नलिटी घोषित करते हुए इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा समस्त कार्यवाही दौराने वाद करवाई गई है, प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र वाद की कार्यवाही को लम्बित रखने के लिए प्रस्तुत किया है प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें। हमने बहस उभयपक्षकारान सूनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि भूमि वादग्रस्त की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित हो चुकी है, उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 गणेश पुत्र ग्यारसा की मृत्यु वर्ष 2018 में तथा प्रतिवादी संख्या 2 चौथू पुत्र ग्यारसा की मृत्यु वर्ष 2010 में हो चुकी है जो वाद दायरी से पूर्व ही हो चुकी थी वादी अधिवक्ता ने आज दिनांक तक उसके कायम मुकामान की कार्यवाही नही की गई है, उक्त भूमि का न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (कृ.भू.रू.) एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने दिनांक 06.02.2008 को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित कर खातेदारी अधिकारों का नियमानुसार पर्यावसान कर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से एवं वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि न होने से इस न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉंगानेर)

(राजेश कुमार मायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सॉंगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:50 IST
Reason: SelfAttested